न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 101/2025 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2025/146**

1. अशोक कुमार पुत्र प्रकाशचन्द्र जाति चौधरी निवासी जरपाल तहसील ज्वाली जिला कांगला हिमाचल प्रदेश।
2. सोमराज पुत्र प्रकाशचन्द जाति चौधरी निवासी जरपाल तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
3. जीवन कुमार पुत्र प्रकाशचन्द जाति चौधरी निवासी जरपाल तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
4. आशा कुमारी पुत्री प्रकाश चन्द जाति चौधरी साकिन जरपाल तहसील जवाली, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. तरसेम सिंह पुत्र भानसिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एएम तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. बलदेव सिंह पुत्र मानसिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 एम के एम तहसील घडसाना जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार।

—— रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री बालकिशन शर्मा — अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 19.12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के आदेश दिनांक 28.07.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 1 एस के एम–ए के मुरब्बा नंबर 188/21 के किला नंबर 1 ता 25 की कुल 6.199 हैक्टेयर भूमि पौंध बांध विस्थापित के तहत अपीलांट्स के दादा देवा पुत्र बरडू को 15.04.1973 में आंवटित हुई। अपीलांट्स के दादा देवा पुत्र बरडू का स्वर्गवास दिनांक 11.02.1979 को हो गया। देवा पुत्र बरडू का एक मात्र वारिस अपीलांट्स के पिता प्रकाश चन्द्र था। अपीलांट्स के पिता प्रकाश चन्द्र का स्वर्गवास दिनांक 22.01.2013 को हो गया। प्रकाश चन्द्र के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वारिसान अपीलांट्स के नाम उक्त वादगत भूमि का तहसीलदार घड़साना ने विरास्तन इंतकाल संख्या 85 दिनांक 05.10.2013 दर्ज कर दिया गया। इंतकाल संख्या 85 दिनांक 05.10.2013 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने आवंटी देवा पुत्र बरडू के द्वारा उनके पक्ष की गई वसीयत दिनांक 10.01.1978 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकार घड़साना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकार घड़साना ने प्रकरण तहसीलदार घड़साना को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घडसाना ने उक्त रिमाण्ड प्रकरण की सुनवाई करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 के पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 09.01.2025 जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घड़साना के आदेश दिनांक 09.01.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि चक 1 एस के एम–ए के मुरब्बा नंबर 188/21 के किला नंबर 1 ता 25 की कुल 6.199 हैक्टेयर भूमि पौंध बांध विस्थापित के तहत अपीलांट्स के दादा देवा पुत्र बरडू को 15.04.1973 में आंवटित हुई। अपीलांट्स के दादा देवा पुत्र बरडू का स्वर्गवास दिनांक 11.02.1979 को हो गया। देवा पुत्र बरडू का एक मात्र वारिस अपीलांट्स के पिता प्रकाश चन्द्र था। अपीलांट्स के पिता प्रकाश चन्द्र का स्वर्गवास दिनांक 22.01.2013 को हो गया। प्रकाश चन्द्र के वारिसान अपीलांट्स के नाम उक्त वादगत भूमि का तहसीलदार घड़साना ने विरास्तन इंतकाल संख्या 85 दिनांक 05.10.2013 का नियमानुसार स्वीकृत किया गया था। अपीलांट्स के दादा की उक्त भूमि गैर खातेदारी भूमि थी एवं पैतृक भूमि थी, रेस्पोडेन्ट के कथनानुसार इनके पक्ष में दिनांक 10.04.1978 का वसीयत कर दी गई थी। देवा का देहान्त दिनांक 12.02.1979 को हो चुका था जबकि वसीयत नही की गई थी, मृत्यु तक खातेदारी भी प्राप्त नही हुई थी इस कारण वसीयत शून्य हैं। अपीलांट्स के पक्ष में इस भूमि की खातेदारी सनद् दिनांक 01.01.2014 को जारी हुई थी। तहसीलदार घडसाना द्वारा बिना अपीलांट्स व देवा व प्रकाश के वारिसान को सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत पेश ही नही की गई, अगर वसीयत होती तो 42 वर्षो तक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वसीयत पेश करके इंतकाल दर्ज क्यों नही करवाया था, स्पष्ट है कि वसीयत हुई ही नही थी।

प्रार्थी प्रवीन कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया है वे बैयनामा के आधार पर पेश किया है और जब बैयनामा किया गया था तब दावा चल रहा था, दौराने दावा जो बैयनामा किया गया है वह शून्य है। प्रार्थी ने जो प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

10 प्रस्तुत किया है वह दावा में वादी बनने पर लागू होता है रेस्पोडेन्ट बनने पर लागू नही होता है। प्राथी ने उक्त प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलांट पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जावें और अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घडसाना दिनांक 09.01.2025 निरस्त फरमायें या अन्य दादरसी मुफीद अपीलांट्स को प्रदान की जावें। इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

क्र.सं. न्यायिक दृष्टिांत मय अनवान

01. आर.आर.डी–14.05.2012 पेज नंबर 304

02. आर.आर.डी 1989 पेज नंबर 224

03. आर.आर.डी 86 पेज नंबर 673

04 आर.आर.डी 1995 पेज नंबर 577

05 Rajasthan High Court Single Bench (2011) Allah Bux vs state of Rajasthan

3– प्रार्थी प्रवीन कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट ने जरिए विद्वान अभिभाषक बालकिशन शर्मा ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1 एस के एम–ए के मुरब्बा नंबर 188/21 के किला नंबर 1 ता 25 की कुल 6.199 हैक्टेयर भूमि की एक अपील इस न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त वादगत भूमि में से किला नंबर 4 ता 8 में 1.2650 हैक्टयर, किला नंबर 12 ता 19 में 2.024 हैक्ययर, किला नंबर 22 ता 25 में 1.0120 हैक्टयर कुल 4.3010 हैक्टयर भूमि अनकमाण्ड भूमि मुझ प्रार्थी ने जरिये पजीबद्ध बैयनामा दिनांक 29.1.2025 को खरीद कर मौका पर काबिज काश्त हैं। जिसका नामांतरकरण राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामांतरकरण प्रविष्टि संख्या 163 से राजस्व रिकॉर्ड में ऑनलाईन दर्ज होकर जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 में प्रार्थी का नाम दर्ज हो चुका हैं। इसप्रकार प्रार्थी उक्त अपील में हितबद्ध पक्षकार है जिसकी जानकारी अपीलांट्स को होते हुए भी मुझ प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त अपील पेश करने से पूर्व से ही उक्त भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा हैं। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अनुवानी अपील में उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी को हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार होने के कारण पक्षकार बतौर रेस्पोडेन्ट बनाये जाने के आदेश प्रदान करें।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांतों, प्रार्थना–पत्रों एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा दौराने बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 सीपीसी के विरूद्ध उठाये गये इस तथ्य से हम सहमत है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत नही किया हैं जो राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल 1956 के विपरित है। अतः प्रार्थी प्रवीन कुमार पुत्र मुखराम जाति जाट के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 सीपीसी तकनीकी आधार पर खारिज किया जाता है।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार घड़साना ने अपने आदेश दिनांक 09.01.2025 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 2 के पक्ष में उक्त वादगत भूमि का इंतकाल दर्ज करने का आदेश पारित किया जो कि उपखण्ड अधिकारी घडसाना द्वारा रिमाण्ड किए गए प्रकरण की पालना में पारित किया है और उपखण्ड अधिकारी घडसाना के रिमाण्ड आदेश दिनांक 28.07.2021 द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किए परन्तु तहसीलदार ने उभयपक्ष को सुने बिना एकतरफा निर्णय पारित किया हैं जिससे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकार के आदेश दिनांक 27.07.2021 की पूर्ण पालना नही की गई है। साथ ही तहसीलदार घडसाना ने अपीलाधीन आदेश अपीलांट के दादा देवा पुत्र करडू द्वारा दिनांक 10.04.1978 को की गई वसीयत के आधार पर पारित किया गया। जबकि उक्त वादगत भूमि की खातेदारी सनद् दिनांक 01.01.2014 को जारी हुई थी। आवंटी देवा पुत्र करडू के पक्ष में की गई वसीयत गैर खातेदारी भूमि की थे। गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नियमानुसार नही की जा सकती है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घडसाना का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2025 निरस्त किया जाता है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर